

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी )

बृहस्पतिवार 26 फरवरी , 2004 / फाल्गुन 8, 1925 (शक)

संख्या: 21

सदस्य की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त ( जिला पूर्वी ) से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अमरीश सिंह गौतम को जिला जांच इकाई/पूर्वी दिल्ली जिला के डीडी संख्या-11 के द्वारा दिनांक 12. 02. 2004 को अपराह्न 05.45 बजे, एफ.आई.आर. नंबर. 562/03 भारतीय दंड संहिता की धारा 323/341/506 के मागले में थाना कल्याण पुरी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और जमानती बाँड एवं व्यक्तिगत बाँड की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें उसी समय रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY  
BULLETIN PART-II**

(General information relating to Legislative & other matters)  
Thursday, 26<sup>th</sup> February, 2004 / Phalguna 08, 1925 (Saka)

No. 21

**DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon`ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from the Deputy Commissioner of Police (East District, Delhi):

"I have the honour to inform you that Shri Amrish Singh Gautam, Hon`ble Member of Legislative Assembly, Delhi was arrested in case FIR No. 562/03 u/s 323/341/506 IPC PS Kalyanpuri, Delhi on 12.2.2004 at 5.45 P.M. vide DD No. 11 District Investigation unit/East district Delhi and was released at the same time after completion of Bail bond and personal bond.

SIDDHARATH RAO  
SECRETARY